कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, दीपका जिला–कोरबा (छ.ग.)

NAAC द्वारा मूल्यांकित ग्रेड

ई मेल– deepkacollege@gmail.com वेब साइट –www.governmentcollege.com

क्रमांक/356/स्था./ 2025 दीपका दिनांकः–28/7/25

परिषिष्ट– 01 (अ)

// अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अन्य हेतु विज्ञापन//

कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक 289/01/आउशि/राज. स्था/2025 नवा रायपुर दिनांक 23.07.2025 एवं छ.ग.शासन,उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ –3–54/स्था/2020/38–1, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)दिनांक 20.06.2024 के अनुसार शासकीय महाविद्यालय दीपका जिला–कोरबा (छ.ग.) में विषय **'गणित एवं हिन्दी'** में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता एवं शिक्षण सहायक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज कें साथ आवेदन दिनांक 07.08.2025 को सायं 5:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

01. अतिथि व्याख्याता :– कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम,2018 के प्रावधनों के अनुरूप होगा। इस व्यवस्था के अतंर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिषत अंक होने चाहिए परन्तु पिछडा पर्ग (असंपन्न वर्ग) ,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यार्थियो के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिषत अंक होने चाहिए।

2. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयो में कार्य करने के लिए बिन्दु–1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ – साथ आवेदको को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओ से अंग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य–विषय से संबंधित जिज्ञासाओ का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा । इस हेतु आवेदको अभ्यर्थियो की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधर पर निर्धारित की जायेगी।

3. आयु सीमा :– अतिथि व्याख्याता/ अतिथि षिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक ।

4. छत्तीसगढ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/पदों का विवरण :–

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या		
		प्राध्यापक	सह प्राध्यापक	सहा.प्राध्यापक
01	गणित	–	–	01
02	हिन्दी	–	–	01

टीप :– संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्व कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्ते :–

01. आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र,10वी, 12वी, स्नातक स्नातकोत्तर, सेट/नेट एम.फिल./पी–एच..डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

02. दिनांक 07.08.2025 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है, प्राप्त आवेदनो को ही गुणानुक्रम सूची में शमिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहा है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रकिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।

03. अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेंरिट सूची तैयार की जावेगी।

04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेंरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 11.08.2025 को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जावेगा। (महाविद्यालय की वेवसाईट नही होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाईट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा । वेबसाईट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा)।

05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 14.08.2025 कार्यलयीन समय 05:30 वजे तक होगी।

06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 20.08.2025 तक किया जावेगा जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।

07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा। कि संबंधित के विरूद्व पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्वशासकीय सेवा में नही है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नही पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाये समाप्त नही की गई है।

08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तवय स्थल पर उपस्थित नही होता है,तो उसे उस दशा में आगले चरणों में सम्मिलित नही किया जाएगा।

09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नही होगा।

10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :-

क्र	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि षिक्षण सहायक
(अ)	**40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये**	400/-	300/-
01	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिय		
02	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/- (41600/-प्रतिमाह अधिकतम)	1200/-(30000/-प्रतिमाह अधिकतम
(ब)	**60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये**		
03	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/-	350/-
04	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/-(50000/-प्रतिमाह अधिकतम)	1400/-(35000/-प्रतिमाह अधिकत

11. आवेदन वंद लिफाफे के उपर पत्राचार का पता शासकीय महाविद्यालय दीपका जिला कोरबा (छ.ग.) एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।

12. इस विज्ञापन के तहत् व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्यता एवं अन्य को विष्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही माना जायेगा ओर वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नही कहलायेगें।

13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत,यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन वनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. कक्षाओ कें संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंध चुनाव,योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यकम, कीडा गातिविधियां, युवा उत्सव,आंतरिक परीक्षाओ का संचालन एवं मूल्यांकन संबंधी कार्यो में ये सहयोग प्रदान करेगें।

16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र् में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रो में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नही होगें।

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय दीपका
जिला कोरबा छ.ग.

(Stamp: प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय दीपका जिला-कोरबा (छ.ग.))

पृ.क./ 357 / स्था/2025

दीपका दिनांक 28/7/25

प्रतिलिपि :–

01. आयुक्त,उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।

02. अपर संचालक,उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।

03. प्राचार्य ई.वि.स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिला कोरबा छ.ग. को सूचनार्थ।

04 कुल सचिव अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

05 सूचना पटल/वेबसाईट में अपलोड हेतु।

06 अतिथि व्याख्याता चयन समिति फाईल ।

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय दीपका
जिला –कोरबा छ.ग.

(Stamp: प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय दीपका जिला-कोरबा (छ.ग.))